सचिका सं0–7 / बजट–46–40 / 2024–25 - 462(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक– 28 / 02 / 2025

विषय:– **प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में औरंगाबाद जिलान्तर्गत ट्रामा सेन्टर के नये भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 9,64,00,000 / –(रूपये नौ करोड़ चौसठ लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि० पटना के पत्रांक–10943, दिनांक–17.02.2025 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रगति यात्रा मे माननीय मुख्यमत्री के घोषणा के क्रम मे औरगाबाद जिलान्तर्गत ट्रामा सेन्टर के नये भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 मे, बिहार चिकित्सा सेवाऍ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 9,64,00,000 / –(रूपये नौ करोड चौसठ लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना (BMSICL) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखा जायगा:–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नही कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी / एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी / एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी / एजेन्सी की होगी।

(vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नही हो जाय। तद्क्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

3– उक्त कार्य मांग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष– 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110– अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष– 0113–जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्वार विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष– (53–01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6– बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

7 – राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561 वि0(2), दिनाक–17 04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक–31 05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

9– प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–20.02.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–439(7), दिनाक–20.02.2025 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

10– प्रस्ताव में लोक वित्त समिति की दिनांक–20.02.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–487/लो०वि०/यो०वि०, दिनांक–22.02.2025 द्वारा BOS3 को शिथिल किया गया है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/बजट–46–40/2024–25 के पृष्ठ–09/टि0 में प्राप्त है।

13– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है ।

14– संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव ।

L \Lalu pd Rajayadesh 2024-25\ Aurangabad (Trauma Centre) doc

ज्ञापांक– 7/न्यास - 46 - 40/2024-25 - 462(7) स्वा0, पटना, दिनांक–28 /02 /2025

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, मगध प्रमंडल, गया/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/2/25

सरकार के अपर सचिव ।